


जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

कटनी शहर में साँची मिल्क पार्लर
आवंटन हेतु आवेदन पत्र



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
डेयरी संयंत्र: करौंदा नाला, इमलिया, अधारताल, जबलपुर
टोल फ्री नंबर- 9406900500
E-mail: jdssanchi@gmail.com

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
डेरी प्लांट करौंदा नाला, इमलिया जबलपुर

साँची मिल्क पार्लर आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र

1.	आवेदन प्रपत्र क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 23.09.2019 दोपहर 2:00 बजे
2.	आवेदन प्रपत्र खोलने तिथि एवं समय	दिनांक 23.09.2019 दोपहर 3:00 बजे से जबलपुर दुग्ध संघ के सभा कक्ष में।
3.	आवेदन प्रपत्र का क्रय मूल्य की जमा की जाने वाली राशि	रु. 500/- (पाँच सौ मात्र)
4.	मिल्क पार्लर आवंटन कार्य हेतु “तकनीकी अर्हताएँ” का प्रारूप ।	परिशिष्ट क्र. 01
5.	आवेदनकर्ता का परिचय	परिशिष्ट क्र. 02
6.	मिल्क पार्लर आवंटन कार्य हेतु “सामान्य शर्तें”	परिशिष्ट क्र. 03

आवेदनप्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- परिशिष्ट क्र. 01 “ तकनीकी अर्हताएँ ” का तथा परिशिष्ट क्र. 02 “ परिचय ” बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर परिशिष्ट क्र. 1 एवं परिशिष्ट क्र. 2 “तकनीकी अर्हताएँ ” लिखा जावे।
- परिशिष्ट क्र. 03 “सामान्य शर्तें” पृथक से बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर “ सामान्य शर्तें ” लिखा जावे।
- उक्त दोनों बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत किये जावें।
- आवेदन में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर

जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अतंगत कटनी शहर में साँची दूध एवं दूध पदार्थों के विक्रय हेतु मिल्क पार्लर आवंटन कार्य हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन फार्म में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। मैं/हम वार्ड का नामकेस्थल हेतु यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा आवेदन फार्म का क्रय मूल्य रु. 500/- (रूपये पाँच सौ मात्र) डीडी क्र.दिनांकसंलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता का नाम व पता		अधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र की प्रति संलग्न करे।
4.	आवेदनकर्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
7.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस की प्रति संलग्न करे।		लायसेंस अथवा किए गए आवेदन की प्रति संलग्न करे।
9	किसी भी कार्य हेतु ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है।		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में नोटरीज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।
10	दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है के संबंधी वचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।		दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है रु. 100/- के नोटरीज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर _____
नाम :- _____

पता :- _____


टेलीफोन नं. _____
मोबाईल नं _____

साँचीपार्लर आवंटन हेतु आवेदन फार्म
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

डेयरी प्लांट, जबलपुर – 482004

दूरभाष – 9406900500

E- mail : jds.sanchi@gmail.com



प्रपत्र:-1

आवेदनकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

आवेदनकर्ता
अपना पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकाए/स्केन

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
करौंदा नाला जबलपुर (म0प्र0)

महोदय,

जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कटनी शहर में साँची मिल्क पार्लर हेतु प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति सूचना को पढ़कर हमने / मैंने यह आवेदन प्रपत्र विपणन कार्यालय से प्राप्त किया है। मैं यह आवेदन फार्मकटनी शहर के अन्तर्गत..... स्थान के लिए भर रहा हूँ तथा आवेदन प्रपत्र क्रय मूल्य रु 500/- की डीडी. क्र. दिनांक जो कि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर के नाम से देय होगा प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने/मैंने अभिरूचि की अभिव्यक्ति सूचना के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों, आवेदन प्रपत्रों में वर्णित विवरण को भली भांति पढ़कर समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ तथा बाध्य हूँ ।

इस संदर्भ में हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

01. आवेदनकर्ता का नाम व पता
02. आवेदनकर्ता का मोबाईल नंबर
03. आवेदनकर्ता का ई-मेल
(अनिवार्य रूप से अंकित करें।)
04. आवेदनकर्ता का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर का विवरण

05. एफ.एस.एस.आई. नं की प्रति संलग्न करें

अथवा इस हेतु किये गये आवेदन की प्रति संलग्न करें।

06. मेरे द्वारा साँची मिल्क पार्लर हेतु कटनी शहर के वार्ड के
..... स्थल हेतु आवेदन किया गया है।

उपरोक्त दस्तावेज तथा इसमें निर्धारित शर्तों के तहत दुग्ध संघ द्वारा हमें/मुझे साँची मिल्क पार्लर सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में आवश्यक सुरक्षा निधि राशि और पार्लर संबंधी वांछित कागजात प्रस्तुत कर निर्धारित अवधि में अनुबंध करने के लिए सहमत हैं/हूँ।

1. हम/मैं उपरोक्तानुसार घोषित करते हैं/करता हूँ कि आवेदन प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही हैं एवं इनके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।

दिनांक.....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर.....

नाम.....

नोट – इस परिशिष्ट में सभी अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टी स्थिति अनुसार स्पष्ट कर अंकित करें। अपेक्षित विवरण के अभाव में आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।



साँची मिल्क पार्लर आवंटन हेतु आवश्यक शर्तें :-

1. आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र एमपीसीडीएफ की वेब साइट से डाउनलोड कर एवं इस आवेदन प्रपत्र को भरकर आवेदन प्रपत्र का क्रय मूल्य रु 500/-की डीडी. के साथ जो कि पेयबल एट "जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.जबलपुर " के नाम से देय होगा, जमा करना अनिवार्य है। बिना डी.डी. के आवेदन प्रपत्र अमान्य होगा।
3. आवेदनकर्ता को न्यूनतम 500 लीटर दुग्ध विक्रय प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसकी समीक्षा दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा प्रति माह की जावेगी। निर्धारित लक्ष्य अनुसार लक्ष्य प्राप्त न करने की दशा में आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की अनुशंसा पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को होगा।
4. आवेदनकर्ता का चयन होने के उपरांत,मिल्क पार्लर (साईज 6'x 6') का होगा। इस हेतु जबलपुर दुग्ध संघ में बतौर सुरक्षा निधि राशि के रूप में रु 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) डी.डी द्वारा जो "जबलपुरसहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर" के नाम से देय होगी। दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. कटनी शहर में मिल्क पार्लर हेतु किसी भी प्रस्तावित स्थल पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में चयन प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम के माध्यम से की जावेगी। जो कि आवेदनकर्ताओं पर बंधनकारी होगा अर्थात् यदि किसी भी प्रस्तावित स्थल पर एक आवेदन प्राप्त होता है तो चयन समस्त वांछित दस्तावेज का परीक्षण करने के उपरांत सही पाये जाने पर कार्य आवंटित किया जावेगा तथा यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस दशा में आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
6. आवेदनकर्ता को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की मांग प्रतिदिन समय पर वितरक के माध्यम से देना अनिवार्य होगा।
7. आवेदनकर्ता को स्थानीय बाजार में मांगानुसार दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित किये गये खुदरा मूल्य पर ही दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय करना होगा। ऐसा न करते पाये जाने पर जो भी अनुबंध की नियम एवं शर्तों के अंतर्गत अर्थदण्ड की राशि संबंधित आवेदनकर्ताओं पर अधिरोपित की जावेगी आवेदनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
8. आवेदनकर्ता को रु 1000/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

9. आवेदनकर्ता वितरण स्थल पर संबंधित वितरक से दूध के पैकेट्स छोट कर लेगा दुग्ध वितरण होने के उपरांत किसी भी प्रकार से दुग्ध के पैकेट्स कम/लीकेज होने की दशा में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदनकर्ता की होगी।
10. आवेदनकर्ता का चयन दो वर्षों हेतु किया जावेगा। कार्य दो वर्ष की अवधि सफलता पूर्वक समाप्त होने के उपरांत पार्लर की अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को होगा।
11. आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र के साथ रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदनकर्ता का जबलपुर दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तथा आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं/जबलपुर दुग्ध संघ के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण कभी भी किसी कार्य से पृथक अथवा ब्लेक लिस्ट न किया गया हो। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है तो आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूतिराशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसा होने पर आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ के विरुद्ध किसी भी मा.न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने का अधिकार नहीं होगा।
12. आवेदनकर्ता विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार करेगा।
13. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
14. प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
15. आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की सुरक्षा निधि राशि राजसात कर आवेदनकर्ता को काली सूची में डालने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
16. आवेदनकर्ता के पास एफ.एस.एस.ए.आई. लाईसेंस होना अनिवार्य होगा अथवा चयन उपरांत आवेदनकर्ता को एक माह के अंदर एफ.एस.एस.ए.आई. लाईसेंस दुग्ध संघ में जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की दशा में कार्य आवंटन निरस्त किया जावेगा।
17. मिल्क पार्लर आवंटन हेतु शेष नियम एवं शर्तें दुग्ध संघ की वर्तमान प्रचलित नीति अनुसार रहेगी। जिसकी जानकारी आवेदनकर्ता किसी भी कार्यालयीन दिवस में जबलपुर दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

18. आवेदनकर्ता को प्रतिदिन प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध उत्पादों की क्रेटें वितरक को देंगे। भविष्य में इस संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की दशा में जवाबदारी संबंधित आवेदनकर्ता की होगी।
19. आवेदनकर्ता जिस स्थल हेतु आवेदन फार्म प्रस्तुत करना चाहते हैं, की सूची पृथक से आवेदन फार्म में संलग्न है। आवेदनकर्ता इस सूची को ध्यान से पढ़कर समझ लें एवं तदनु रूप ही आवेदन फार्म भरें।
20. आवेदनकर्ता आवेदन फार्म को ध्यान से पढ़कर समझ लें। आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की काटा पीटी न करें एवं जो दस्तावेज मांगे गये हैं वे ही दस्तावेज प्रस्तुत करें अथवा किसी भी प्रकार की काटा पीटी तथा वांछित दस्तावेजसंलग्न न होने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी जबाबदेही संबंधित आवेदनकर्ता की होगी।
21. आवेदनकर्ता को एक स्थल हेतु एक आवेदन फार्म भरने की पात्रता होगी। यदि आवेदनकर्ता अन्य वार्डों के स्थलों हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें पृथक से आवेदन फार्म एवं क्रय मूल्य रु. 500/- की डी.डी. पृथक से जमा करनी होगी।
22. किसी भी आवेदनकर्ता को केवल दो स्थलों हेतु आवेदन फार्म भरने की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जावेगा।
23. सफल आवेदनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा पार्लर निर्माण कर सुपुर्द किया जावेगा। जिसे आवेदनकर्ता को अपने स्वयं के व्यय पर डेयरी संयंत्र, जबलपुर से चयनित स्थल पर स्थापित करना होगा। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का भाड़ा दुग्ध संघ द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
24. साँची मिल्क पार्लर में आवेदनकर्ता को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के व्यवस्थित भंडारण हेतु डीपफ्रीजर व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगा तथा विद्युत कनेक्शन भी स्वयं के स्तर पर करना होगा।
25. आवेदनकर्ता प्रतिमाह मिल्क पार्लर का किराया नगर पालिका निगम, कटनी में नियमानुसार जमा करेंगे तथा इसकी पावती की एक प्रति वितरक के माध्यम से जबलपुर दुग्ध संघ में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में नगर पालिका निगम एवं विद्युत विभाग, कटनी के किसी भी प्रकार की बकाया राशि परिलक्षित होने की दशा में पार्लर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
26. आवेदनकर्ता भविष्य में यदि मिल्क पार्लर का संचालन बंद करते हैं तो इस दशा में उन्हें नगर पालिका निगम, कटनी, विद्युत विभाग, कटनी तथा वितरक से अनापत्ति प्रमाण पत्र दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित पार्लर को मूलतः यथावत डेयरी संयंत्र, जबलपुर में जमा करना

होगा। तदोपरांत ही आवेदनकर्ता की सुरक्षा निधि वापसी संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

मेरे द्वारा साँची मिल्क पार्लर आवंटन कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र में समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 26 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ व आवेदन निरस्त करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता



अनुबंध पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं नाम
पिता श्री-----

उम्र-----पता ----- (जिन्हें द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है।

1. (अ) यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर ----- साँची पार्लर से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत करता है।

(ब) यह कि आवंटन पूर्णतः अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद आवंटन निरस्त किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर, यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डॉक द्वारा भेजा जा सकेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंट शिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

(स) यह कि अनुबंध निष्पादन तिथि से दो वर्ष अर्थात् निष्पादन तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील माना जायेगा। इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्ति तिथि के वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक होगी। उसके बाद पुनः अनुबंध का नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। यदि द्वितीय पक्ष पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे उसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा। अन्यथा पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के लिये प्रथम पक्ष स्वतंत्र होगा। अवधि समाप्त होने के बाद या अनुबंध नवीनीकरण न कराने पर रु. 5000/- प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर अर्थदण्ड (जुर्माना) अधिरोपित किया जावेगा तथा आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना किसी नोटिस अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

(द) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सनवाई का अवसर देकर, स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जावेगा।

(इ) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में पार्लर का कब्जा अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी को देना होगा, ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह पार्लर पर कब्जा कर ले जिसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। प्रथम पक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था को यह पार्लर आवंटित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(ई) यह कि दोनों पक्षों में यदि विवाद उत्पन्न होता है तो यह विवाद आर्बीट्रेशन हेतु अध्यक्ष जबलपुर दुग्ध संघ अथवा उनके नामांकित व्यक्ति को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड रिकान्सीलेशन अधिनियम 1996 के अन्तर्गत संपादित होगी।

(ड) यह कि अनुबंध के अन्तर्गत विषयों के संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय का होगा।

(ऊ) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर होगा।

(2) (अ) यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति/आवंटिन के वक्त पार्लर हेतु **रूपये 50000/- (पचास हजार रूपये)**, बतौर जमानत प्रथम पक्ष के पास जमा करायेगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवंटिन निरस्त होने, अनुबंध के नवीनीकरण न कराने पर यह जमानत राशि प्रथम पक्ष द्वारा जप्त की जावेगी।

(ब) यह कि भविष्य में जमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

(स) यह कि अमानत राशि से पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।

(द) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा जमानत राशि वापिसी के आवेदन करने पर वितरक के नो ड्यूज सहित प्रस्तुत करने पर 01 माह के भीतर ही जमानत राशि वापस की जावेगी।

(3) (अ) द्वितीय पक्ष को आवंटित इस पार्लर को कम से कम नीचे दर्शायी गई समयावधि में खुला रखना अनिवार्य होगा :-

समय	से	समय
प्रातः 6:00 बजे	से	1:00 बजे
सांयः 3:00 बजे	से	10:00 बजे

(ब) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित दुग्ध पदार्थों की विक्रय मूल्य तालिका एवं पार्लर खुलने एवं बंद होने की समय तालिका डिपो/पार्लर पर लगाना अनिवार्य होगा।

(स) प्रथम पक्षकार द्वारा आवंटित पार्लर में साँची दूध एवं साँची दुग्ध उत्पाद (घी, मक्खन, दही, श्रीखण्ड, छेनाखीर, लस्सी, मीठा दूध पनीर, मावा पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, काजू कतली, मिल्क केक, टंडाई (भविष्य में अन्य साँची उत्पाद) प्रतिदिन लेना व विक्रय करना अनिवार्य होगा, विक्रय न करने पर चेतावनी नोटिस जारी किया जाकर चस्पा किया जायेगा। सुधार न आने पर प्रथम नोटिस एवं रू. 1000/- जुर्माना, द्वितीय बार नोटिस एवं रू. 2000/- जुर्माना व फिर भी अनुबंध का उल्लंघन या सुधार न आने पर तृतीय बार नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी। यदि द्वितीय पक्षकार जुर्माना राशि जमा नहीं करता है तो उसकी दूध एवं दूध उत्पाद सप्लाई रोकी जाकर आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

साँची पार्लरअपने यहाँ किसी भी अन्य कंपनी का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे और न ही प्रदर्शनीय स्थल पर पम्पलेट/साईनबोर्ड प्रदर्शित करेंगे, साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का प्रदर्शन सामने करना अनिवार्य होगा। साँची साईन बोर्ड पर किसी अन्य कंपनी की साझेदारी या विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जायेगा। मात्र साँची का साईनबोर्ड मान्य होगा।

(द) उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुँच सेवा चाहता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुँच सेवा के लिये बाध्य होगा। घर पहुँच सेवा न देने पर प्रथम पक्ष द्वारा एजेन्ट शिप निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(इ) एजेन्ट को सुबह-शाम दोनों समय साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय करना अनिवार्य होगा।

(4) (अ) यह कि मिल्क पार्लर प्रथम पक्ष की संपत्ति है जो कि नगर-निगम, जबलपुर की भूमि पर स्थिति है के हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने साँची पार्लर को दूसरे को हस्तांतरण/विक्रय किराये पर दिया तो संबंधित पर अन्य कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस एफ.आई.आर./वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जावेगी।

(ब) यह कि नगर-निगम से पार्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थों का विक्रय लायसेंस द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा तथा नियमानुसार लायसेंस फीस नगर निगम में जमा करना अनिवार्य होगा।

(स) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उप नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नापतौल विभाग नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी।

(द) यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी तथा उसका तापमान 4-6 डिग्री रखकर साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ की शीतलता एवं गुणवत्ता बनाये रखना अनिवार्य होगा।

(इ) यह कि, प्रथम पक्ष के द्वारा निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा, जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों के समान्तर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो अर्थात् अन्य कंपनी के दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु प्रतिबंधित होंगे तथा विक्रय करने रु. 5000/- अर्थदण्ड लगाया जायेगा व पार्लर आवंटन निरस्त किया जायेगा।

(ई) यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(उ) यह कि, द्वितीय पक्ष आवंटित स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेगा न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देंगे न ही किसी की विक्रय करेंगे। इस पार्लरका स्वामित्व सदैव दुग्ध संघ के पास रहेगा। विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे।

(5) (अ) क्योंकि द्वितीय प्रथम पक्ष के लिये स्वीकृत एजेन्ट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेन-देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

(ब) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर ही माल (एम.आर.पी.) विक्रय करना होगा। इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(स) साँची पार्लर संचालक अपने यहाँ साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद के अलावा किसी अन्य कंपनी का दुध एवं दुग्ध उत्पाद न ही रखेंगे और न ही विक्रय करेंगे पार्लर के अंदर भी साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। प्रथम पक्षकार दुग्ध संघ यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद रखने हेतु निर्देशित करेगा तो संबंधित पार्लर संचालक को वह रखना व विक्रय करना अनिवार्य होगा।

द्वितीय पक्षकार को अपने पार्लर में साफ-सफाई रखने तथा वर्ष में एक बार उसकी रंगाई/पुताई कराना अनिवार्य होगा सफाई न पाई जाने पर/रंग रोगन न कराने पर रु. 1000/- अर्थदण्ड जुर्माना लगाया जायेगा।

(द) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाये गये एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गई अग्रिम राशि का पूर्ण रूपसे जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गई हेराफेरी गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आयेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।

(इ) विक्रय एजेन्ट द्वारा दूध विक्रय एवं अग्रिम कार्ड की राशि नगदी के रूप में शाखा के किसी भी कर्मचारी को न दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नगदी की राशि दी जाती है तो उसकी प्राप्ति आवश्यक रूप से ली जावे।

(6) यह कि प्रथम प्रक्ष द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील, संस्था आदि की जाँच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सर्तकता से वितरण करेंगे, प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं तौल की संपूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

(7) यह कि शासन से संबंधित विभाग जैसे- नगर-निगम द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष देवेंगे। इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे, यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। सभी साँची पार्लरखाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराने, लाईसेंस प्राप्त करने व नियमों के पालन हेतु बाध्य रहेंगे।

(8) यह कि, पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा यदि फर्नीचर एवं फिक्चर्स उपलब्ध कराये हैं एवं भविष्य में उपलब्ध कराये जावेंगे एवं केन क्रेटस, बॉटल प्रदाय किये जायेगें, किसी भी

कारण उसकी टूट-फूट नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगा।

(9) यह कि, प्रथम पक्ष द्वारा प्रदाय किये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेटस, बॉटल का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। प्रथम पक्ष के खाली क्रेटस का स्वयं का उपयोग करने/बेचने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर कार्यवाही की जावेगी।

(10) यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंगे। दुग्ध संघ प्रथम पक्ष द्वारा की जाने वाले मासिक/त्रैमासिक मीटिंग में उपस्थित होकर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होगा।

(11) यह कि, प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं एवं भविष्य में समय-समय पर बनाये जायेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा। न करने पर जुर्माना, पार्लर निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

(12) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये पार्लर के समय एवं दुग्ध पदार्थ के माह कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेगा।

(13) यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।

(14) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को पार्लर आवंटन की स्थिति में न्यूनतम लक्ष्य प्रतिदिन 200 लीटर दूध विक्रय व रु. 2000/- का दुग्ध पदार्थ विक्रय करना अनिवार्य होगा एवं साँची बूथ आवंटन की स्थिति में न्यूनतम लक्ष्य प्रतिदिन 100 लीटर दूध एवं रु. 1000/- का दुग्ध पदार्थ विक्रय करना अनिवार्य होगा। इसमें परिवर्तन/शिथिलता व संशोधन करने का अधिकार प्रथम पक्ष के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास रहेगा, समय-समय पर उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य होगी, लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर प्रथमतः चेतावनी नोटिस जारी किया जावेगा तदोपरांत प्रथम बार आर्थिक जुर्माना रु. 1000/-, द्वितीय बार नोटिस एवं रु. 2000/- व दुग्ध सप्लाई रोकने की कार्यवाही की जावेगी एवं तृतीय बार नियमों का पालन न करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी।

(15) साँची पार्लर संचालक प्रतिमाह दूध एवं दूध उत्पाद बिक्री की लिखित जानकारी वितरक के माध्यम से दुग्ध संघ को प्रदाय करेंगे तथा संघों द्वारा दिये लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे न करने पर अर्थदण्ड रु. 1000/- या अधिक जुर्माना किया जावेगा।

(16) यह कि अगर पार्लर लगातार 30 दिवस तक बंद रहता है तो जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को यह अधिकार होगा कि वह पार्लर को हटा सकता है एवं अमानत राशि को राजसात कर सकता है एवं अन्य को पार्लर आवंटित कर सकता है।

मैं पिता/पति/पत्नी..... वितरक सह-परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक अपना उत्तराधिकारी (नामिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/ करती हूँ।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों का उभय पक्षों ने पढकर समझ ली है एवं पूर्ण होशोहवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई हैं।

दिनांक :

गवाह :

हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

.....

प्रथम पक्षकार

2. हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

द्वितीय पक्षकार

कटनी शहर में साँची पार्लर आवंटन हेतु प्रस्तावित स्थलों की सूची

वार्ड क्र	वार्ड का नाम	स्थल का नाम जहाँ मिल्क बूथ रखा जाना है।
1.	बाल गंगाधर तिलक वार्ड	1. प्रेम शंकर राय गोदाम के पास, इन्द्र नगर, यूकेलिपटस पेड़ के पास।
		2. पुरैनी आजाद नगर के पास, बजरंग बली मंदिर के पास।
		3. पन्ना रोड के पास, रंगरेलिया पेट्रोल पंप के पास।
2.	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	1. खेलमाई मंदिर के बाजू में, शंकरगढ़, सेन के बाजू में।
		2. अहमद नगर चौराहे पर, पीपल झाड़ के नीचे
3.	इंदिरा गाँधी वार्ड	1. बस स्टैड, कटनी, नीम के पेड़ के नीचे
		2. आदिशक्ति मंदिर के पास
		3. कैलवारा फाटक के उस पार चौराहे में
4.	राम मनोहर लोहिया वार्ड	1. चाण्डक चौक के पास, शव स्थल के बाजू में
		2. दादूराम पटैल के बाउन्ड्री से सटा के।
		3. आदर्श कॉलोनी को जाने वाले रास्ते में केदार कनकने के बाउन्ड्री वाल से सटा के।
5.	चन्द्रशेखर वार्ड	1. मिशन वाड्स्ले हाईस्कूल के पास या यातायात पुलिस चौकी
		2. गाटर घाट रोड़, दुर्गा मंदिर के पास।
		3. नगर पालिक निगम, धन्ती बाई स्कूल के पास
6.	गणेश प्रसाद मसुरहा वार्ड	1. जगदीश मंदिर के पीछे नंदला लोहार के पास, नीम के झाड़ के पास।
7.	जालपी देवी वार्ड	1. जालपी देवी चौक पाठक जी के मकान के सामने।
		2. गुरुनानक ट्रांसपोर्ट के पास कृष्ण मंदिर, बांके बिहारी मंदिर के पास।
8.	महात्मा गाँधी वार्ड	1. शंकर जी मंदिर के पास पीपल के पास, नाला के पास।
		2. गणेश दाल मिल गली कृष्ण मंदिर के पास, गौर गली।
9.	जयप्रकाश वार्ड	1. रोचलानी चौराहा धर्मलोक हॉस्पिटल के सामने, बिजली खंबे के पास।
		2. पुराना रोजगार कार्यालय के पास केशव बाँडा गली
10.	जगमोहन दास वार्ड	1. सरस्वती स्कूल के पास, गेट के सामने, कचराघर

		के पास ।
		2. गिरिजा चौक आधार काप
		3. संत नगर चौराहा, फ्यूचर स्कूल के पास
11.	सावरकर वार्ड	1. शंभू टॉकीज के पास, भारतीय प्रेस गली, पावर हाउस के बाजू में
		2. पुराना फॉरेस्ट कार्यालय के बाहर, गेट के बाजू में।
		3. खिरहनी फाटक के नीचे
12.	वैकट वार्ड	1. खिरहनी फाटक के उस पार ब्रिज के नीचे
		2. निषाद शाला बाउन्ड्री के पास, पुलिस चौकी के बाजू में
13.	राजीव गाँधी वार्ड	1. खटीक मुहल्ला
		2. चक्की घाट, रेल्वे क्वार्टर के सामने, पंप हाउस के पास ।
14.	आचार्य विनोवा भावे वार्ड	1. माई नदी के पास, राहुल बाग
		2. दुर्गा चौक खिरहनी मंदिर के पास
		3. एस्सार प्रेट्रोल पंप के पास, खिरहनी बरही रोड़।
15.	रफी अहमद किदवई वार्ड	1. माई नदी के किनारे, दिवाकर फूड प्वाइंट के सामने।
		2. प्रेम नगर अयोध्या बस्ती
		3. एनकेजे थाने के पास
16.	जगजीवन राम वार्ड	1. जैन कॉलोनी राणा होटल के आगे, जागृति शिशु मंदिर बोर्ड के पास ।
		2. बजरिया नगर निगम के पास
17.	शिवाजी वार्ड	1. बजरंग कॉलोनी दुर्गा मंदिर के पास
		2. शंकर जी मंदिर के पास
		3. ग्रीन कॉलोनी
18.	अम्बेडकर वार्ड	1. बाबा घाट हनुमान मंदिर
		2. शर्मा मार्केट एसबीआई के सामने, एटीएम के बाजू में।
19.	वल्लभ भाई पटेल वार्ड	1. ट्रेफिक पुलिस चौकी के पास
		2. सम्राट होटल के पास
		3. प्लेटफार्म नं. 05 के बाहर ऑटो स्टैंड के पास
20.	गुरुनानक वार्ड	Nil
21.	मालवीय गंज वार्ड	1. गोलबाजार रामलीला मैदान
22.	हनुमानगंज वार्ड	1. गोलबाजार ऑटो स्टैंड
		2. घंटाघर मैदान
		3. गर्ग चौराहा
23.	रघुनाथ गंज वार्ड	Nil

24.	सतीष तिवारी	1. संजय कुमार/वीरेन्द्र जैन के सामने खाली मैदान
25.	सुभाष वार्ड	1. गणेश चौक
		2. विश्वकर्मा पार्क
		3. महारानी लक्ष्मीबाई कचहरी तिराहा
26.	बी.डी. अग्रवाल वार्ड	1. पुरानी आईटीआई के पास, एमपीईबी गेट के पास
		2. लल्लू भैया की तलैया के पास,
		3. कृष्णा फर्नीचर के पास, एनकेजे मार्ग
27.	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	1. चौपाटी में सब्जीमंडी के पास
		2. फारेस्ट प्ले ग्राउण्ड के बाउंड्री वॉल से सटकर एक्सिस बैंक के सामने।
		3 नालन्दा स्कूल, माँ दुर्गा मंदिर के पास
28.	मदनमोहन चौबे वार्ड	1. कैथाटोला, अग्रवाल बिल्डिंग के बाजू में
		2. मेनरोड, डन कॉलोनी, बरगवां
29.	जवाहर लाल नेहरू वार्ड	1. माधवनगर गेट के सामने, हनुमान मंदिर के बाजू में।
		2. हनुमान मंदिर के पास, कटाय घाट मोड के पास।
		3. चंदी की दफाई, द्वारका सिटी गेट सामने।
30.	वंशस्वरूप वार्ड	1. नैनसी स्कूल के पास, भट्टा के बगल में
		2. चंदी की दफाई, इमली झाड़ के पास।
31.	सी.एल.पी. वार्ड	1. लक्ष्मी पान भंडार के पास,
		2. सी.एल.पी. स्कूल के पास
32.	रामनिवास वार्ड	1. भीमराव चौक से दुर्गा भट्टा रोड़
33.	कावस जी वार्ड	1. भीमराव चौक के पास, रंगनाथ मंदिर
34.	फारेस्टर वार्ड	1. जयहिन्द चौक के पास
		2. भारत चौक के पास
35.	रामकृष्ण परमहंस वार्ड	1. मंगल नगर पुलिया के पास
36.	श्यामा प्रसाद मुकर्जी वार्ड	1. नयागाँव पानी टंकी के पास
		2. बजरिया बसंत विश्वकर्मा के पास
		3. एनकेजे आरपीएफ थाना के पीछे, नयागाँव
38.	विवेकानंद वार्ड	1. खेरमाई माता मंदिर के पास
		2. सुलभ शौचालय के पास
		3. चर्च के पास
39.	जाकिर हुसैन वार्ड	1. संजय नगर, सुलभ शौचालय के पास।
		2. सरस्वती स्कूल के पास।
		3. डेहरू लाईन, ट्यूबवैल के पास
40.	बाबा नारायण शाह वार्ड	1. ग्राम पंचायत चौराहा, उप कार्यालय के सामने
		2. पोस्ट ऑफिस चौराहा, खेवर लाईन चौराहा
41.	हेमु कालानी वार्ड	1. कुंदन दास स्कूल के सामने, आर्डनेन्स फैक्टरी

		बोर्ड के बाजू में, मेनरोड
		2. न्यू एसीसी कॉलोनी, पानी टंकी के पास, ट्रांसफार्मर के सामने।
		3. बंगला लाईन, एसीसी क्लब के पास, ट्रांसफार्मर के पास।
42.	आचार्य कृपलानी वार्ड	1. रोचामल चौराहा, बाउन्ड्री से लगा के।
		2. टंकी नं. 02, कैरन लाईन स्कूल के पास।
		3. पीडब्ल्यूडी क्वाटर, शंकर मंदिर के पास
43.	संत कंवर राम वार्ड	1. खैवर लाईन, पानी टंकी के पास
		2. चावला चौक में जोधाराम गेट के पास, पेड के पास।
44.	महाराणा प्रताप वार्ड	1. गुरैया बाग मार्ग, झिंझरी, दुर्गा मंदिर के पास
		2. पटेल मार्केट के पास, हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के पास, उर्वशी होटल के सामने।
		3. साँई मंदिर कुम्हार मुहल्ला, पुराना मुर्गी फार्म के पास।
45.	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड	1. अमीर गंज तालाब के पास, मानसरोवर कॉलोनी, पुलिया के पास।
		2. माधव नगर स्टेशन के पास, आवास योजना नगर निगम।